

(अथ चतुर्थः)

Nº 0324146

(मास परत)

नामान्तरकर रजिस्टर क्रम-५ भोकराजी पटवार हवालदार वृ. म. विद्यालय हावडा फरडमुहलीन जिला अन्धेरा राजस्थान

[illegible]

प्ररूप-11
{ नियम 7 (1) देखिए }

मामला सं. 278

और वर्ष 2014

आवेदक :- श्री रोडू नायक पुत्र श्री नाथूलाल नायक निवासी रेगरान मौहल्ला पीसांगन रोड ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान।

विषय:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 5.9.14

- (1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
अजमेर	रामनेर ढाणी	2980,2981,2982,2983	रकबा 01-41 हैक्ट. यानि 16854.71 वर्गगज

- (2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- (3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- (4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं. **2980,2981,2982,2983** रकबा 01-41 हैक्ट. यानि 16854.71 वर्गगज की ग्राम रामनेर ढाणी तहसील अजमेर में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- (5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 5.9.14 को पारित किया गया।

(सीता वर्मा)
प्राधिकृत अधिकारी
आयुक्त

नगर परिषद किशनगढ़।
दिनांक 5.9.14

क्रमांक/नपकि/कृ.भू.नि.(278)/2014/2549

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार, अजमेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
2. स्थानीय प्राधिकारी/आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़।
3. श्री रोडू नायक पुत्र श्री नाथूलाल नायक निवासी रेगरान मौहल्ला पीसांगन रोड ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान।

(सीता वर्मा)
प्राधिकृत अधिकारी
आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़।



सत्यमेव जयते



IN-RJ62073759186266W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No. : IN-RJ62073759186266W
 Certificate Issued Date : 29-Aug-2024 04:33 PM
 Account Reference : NONACC (SV)/ rj3313604/ BIJAINAGAR/ RJ-AJ
 Unique Doc. Reference : SUBIN-RJRJ331360409931841020533W
 Purchased by : RODU NAYAK SON OF NATHULAL NAYAK
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : --
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : RODU NAYAK SON OF NATHULAL NAYAK
 Second Party : NAGARPARISHAD KISHANGARH
 Stamp Duty Paid By : RODU NAYAK SON OF NATHULAL NAYAK
 Stamp Duty Payable (Rs.) : 500
 (Five Hundred only)
 Surcharge for Infrastructure Development (Rs.) : 50
 (Fifty only)
 Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.) : 50
 (Fifty only)
 Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.) : 50
 (Fifty only)
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 650
 (Six Hundred And Fifty only)



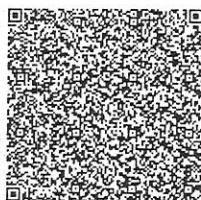
5/9/24.
NOTARY
 BEAWAR (AJMER) RAJ

अ. नि.
 रोडू



ATTESTED

5/9/24.
 Mohan Lal Advocate
NOTARY
 BEAWAR (AJMER)



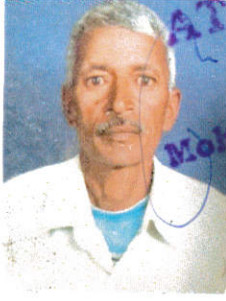
QE 0013367122

VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.stamptestraj.gov.in or using e-Stamp Mobile App or Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
 2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
 In case of any discrepancy please inform the Concerned Authority.

IN-RJ62073759186266W



ATTESTED
5/9/24
Mohan Lal Advocate
NOTARY
BEAWAR (AJMER)

प्रपत्र-''द''

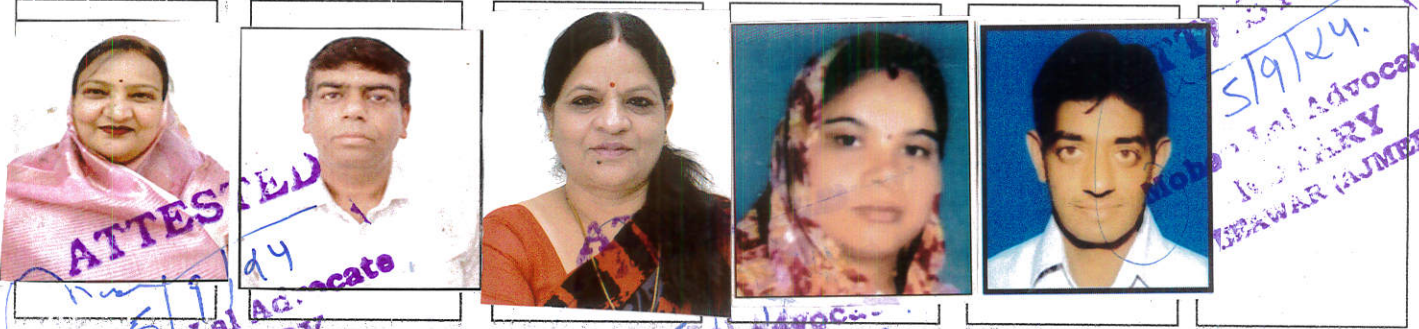
प्राविजनल भू आवंटन पत्र/कब्जा पत्र

समिति/कम्पनी/फर्म/निजी खातेदार/विधिक संस्था का नाम (सोसायटी/कम्पनी/विधिक संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर)

क्रमांक:

दिनांक :

फोटोग्राफ



भूखण्ड आवंटन

- 1- श्रीमती कविता पत्नी श्री पवन कुमार जैन निवासी बिजयनगर
- 2- श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री धर्मीचन्द जैन निवासी बिजयनगर
- 3- श्रीमती निर्मला खींचा पत्नी श्री अरविन्द खींचा निवासी ब्यावर
- 4- श्रीमती लीला जैन पत्नी श्री अशोक कुमार जैन निवासी बिजयनगर
- 5- श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री धर्मीचन्द जैन निवासी बिजयनगर

भूखण्ड संख्या 01 से 91

आवासीय

सम्यक सिटी-3, रामनेर की ढाणी

ग्राम रामनेर की ढाणी एवं भूमि खसरा नंबर 2980, 2981, 2982, 2983

श्री रोडू नायक पुत्र श्री नाथूलाल नायक निवासी रेगरान मोहल्ला,
पीसांगन रोड ब्यावर।

जोन संख्या

.....2

अ.नि.
रोडू

Ravishanin

पवन कुमार जैन

Nimala Khichy

लीला जैन

अशोक कुमार जैन



ATTESTED
5/9/24
Mohan Lal Advocate
NOTARY
BEAWAR (AJMER)



NOTARY
BEAWAR (AJMER)

यह प्रोविजनल आवंटन/कब्जा पत्र राजस्थान सरकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10(1) नवि/3/2002 दिनांक 01.01.2002 के तहत घोषित राजस्थान में आवासीय परियोजनाओं/टाउनशिप विकसित करने में निजी निवेश की नीति व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रोविजनल आवंटन/कब्जा आवंटन के हित में आवासीय/व्यवसायिक उपयोग हेतु निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1- विकासकर्ता द्वारा उक्त योजना का संबंधित निकाय से नगरीय विकास विभाग के टाउनशिप नियमों के अंतर्गत 90-ए/भूरूपान्तरण एवं लेआउट प्लान अनुमोदन होने पर भू-रूपान्तरण शुल्क एवं ब्राह्म्य परिधीय शुल्क की राशि जमा करवाने के पश्चात अनुमोदित ले आउट प्लान की सत्यापित प्रतिलिपि संबंधित निकाय से प्राप्त कर ली गई है जो कि विकासकर्ता के द्वारा स्वयं के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चरप्पा की गई है।

2- विकासकर्ता द्वारा मूल आवंटन से प्रोविजनल आवंटन पत्र/कब्जा पत्र जारी करते समय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत निम्न मदों की राशि प्राप्त कर ली गई है:-

क्रम संख्या	मूल भूखण्ड राशी भूखण्ड क्षेत्रफल वर्ग गज	राशि	रसीद संख्या	दिनांक
5/9/24.	ब्राह्म्य परिधीय शुल्क			
	भू रूपान्तरण शुल्क			
3-	विकास शुल्क			
4-	विविध शुल्क			
नोट-नियमन शुल्क, विकास शुल्क, रूपान्तरण अन्य शुल्क कुल रुपये -				

अगर आवंटन द्वारा विकासकर्ता को आंतरिक विकास शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो निकाय द्वारा आवंटन के हित में पट्टा विलेख जारी करते समय आवंटन द्वारा आंतरिक विकास शुल्क के साथ नियमानुसार लीज रेंट व स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना होगा।

3- आवंटन द्वारा राज्य सरकार/प्राधिकरण के संबंधित नियमों, उपनियमों एवं समय पर जारी निर्देशों, निष्प्रयोग की अनुपालना की जायेगी।

4- आवंटन को आवंटित भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है (जिसे संलग्न साइट प्लान में अधिक विस्तार से बताया गया है) भूखण्ड की लम्बाई इन्टू चौड़ाई (मीटर इन्टू मीटर)

अग्र सेट बैंक (मीटर) -

पार्श्व सेट बैंक (मीटर) -

साइट (मीटर) -

ATTESTED
5/9/24.
Mohan Lal Advocate
NOTARY
BEAWAR (AJMER)

अ. नि. रॉड
Kavitaran

पवन कुमार जी
Nimal Khur

लीला जैन उद्योग डिमाई

5- आवंटी को निकाय के जिस क्षेत्र में भूखण्ड आवंटित किया गया है वह क्षेत्र निकाय के के जोन के अंतर्गत आता है। आवंटी द्वारा औद्योगिक योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी निकाय से संबंधित जोन से प्राप्त की जा सकती है।

6- यह आवंटन पत्र प्रोविजनल आवंटन पत्र/कब्जा पत्र है, आवंटी द्वारा राज्य सरकार के निकायो द्वारा समय समय पर जारी किये गये अथवा किये जाने वाले नियमों/आदेशों/परिपत्रों के तहत विकासकर्ता/निकाय को विभिन्न मदों के अंतर्गत निर्धारित शुल्क जमा करवाने के पश्चात प्रोविजनल आवंटन पत्र निकाय द्वारा जमा किया जाकर आवंटी को पट्टा विलेख(लीज डीड) निकाय द्वारा जारी किया जावेगा।

7- उपरोक्त प्रोविजनल आवंटन आवेदन पत्र विकासकर्ता द्वारा नगरीय विकास विभाग के समस्त नियमों का पालन करते हुए आवंटी को जारी किया जाता है। विकासकर्ता द्वारा समस्त आवंटियों की सूचना निकाय को उपलब्ध करवा दी जावेगी। अगर भविष्य में आवंटी को किसी भी प्रकार के दोहरे आवंटन अथवा साइट पर कब्जा प्राप्त करने में परेशानी होती है जो उसका समस्त हर्जा खर्चा एवं अन्य नुकसान की भरपाई विकासकर्ता/निजी खातेदार के द्वारा स्वयं के खर्चे पर ही जाकर आवंटी को उक्त आवासीय योजना के अन्य समान क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटित किया जावेगा।

अ. नि.
२५



निजी खातेदार/विकासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील(पद, नाम व पता)

मैं/हम आवंटी यह सत्यापित करते हैं कि इस प्रोविजनल आवंटन पत्र/कब्जा पत्र में वर्णित की गई समस्त शर्तों को मेरे द्वारा भली भाँति पढ़ सुन व समझ लेने के पश्चात यह आवंटन पत्र/कब्जा पत्र प्राप्त किया गया है।

1-गवाह- हस्ताक्षर

नाम- अश्वनी नाथ S/O श्री गजेश नाथ

पिता का नाम

पता वाराणसी, ज.प.पु.प्र.वा.टी.

शाहपुरा (मीरवा)

Kavitaran

पवन कुमार जैन

Nimal Khushi लीलाजी

अशोक कुमार जैन

(आवंटी के हस्ताक्षर)

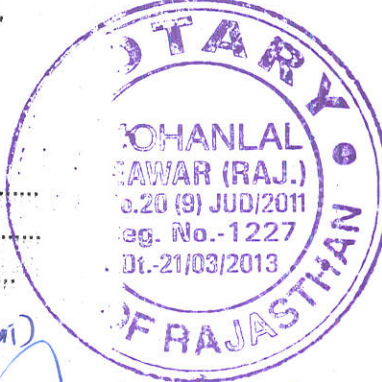
2-गवाह- हस्ताक्षर

नाम- हितीरा जैन

पिता का नाम

पता शाहपुरा (मीरवा)

वाराणसी (मीरवा)



5/9/24

NOTARY
DEWAR (AJMER) RAJ

ATTESTED
5/9/24
Mohan Lal Advocate
NOTARY
DEWAR (AJMER)



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- रामनेरढाणी
पटवार हल्का :- रामनेरढाणी
भू. अभि. नि. :- अरड़का
तहसील :- अजमेर
जिला :- अजमेर

सम्बत :- 2072 - 2075
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 921
खाता संख्या पुराना :- 310

काश्तकार का नाम:-

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
2980	0.3700	चाही 3	0.3700	3.3300	चा.2990	
2981	0.3600	चाही 3	0.3600	3.2400	चा.2990	
2982	0.3400	चाही 3	0.3400	3.0600	चा.2990	
2983	0.3400	चाही 3	0.3400	3.0600	चा.2990	
2984	0.2500	चाही 3	0.2500	2.2500	चा.2990	
2985	0.2700	चाही 3	0.2700	2.4300	चा.2990	
2986	0.2500	चाही 3	0.2500	2.2500	चा.2990	
2987	0.6700	चाही 3	0.6700	6.0300	चा.2990	
2988	0.9000	चाही 3	0.9000	8.1000	चा.2990	
2989	0.5000	चाही 3	0.5000	4.5000	चा.2990	
2991	0.2500	चाही 3	0.2500	2.2500	चा.2990	
2992	0.0800	चाही 3	0.0800	0.7200	चा.2990	
2993	0.1000	चाही 3	0.1000	0.9000	चा.2990	
2994	0.2600	चाही 3	0.2600	2.3400	चा.2990	
2995	0.0400	चाही 3	0.0400	0.3600	चा.2990	
2996	0.4200	चाही 3	0.4200	3.7800	चा.2990	
3020	0.2300	चाही 3	0.2300	2.0700	3024	
3021	0.2500	चाही 3	0.2500	2.2500	3024	
कुल खसरे - 18	5.8800		5.8800	52.92		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 19-Apr-2026





जमाबंदी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- रामनेरढाणी
पटवार हल्का :- रामनेरढाणी
भू.अभि.नि. :- अरड़का
तहसील :- अजमेर
जिला :- अजमेर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2072-2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 919
खाता संख्या पुराना :- 921

काश्तकार का नाम:-

1. नगर परिषद किशनगढ़ अजमेर हिस्सा- पूर्ण NA नगर परिषद किशनगढ़,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1453	0.1225	बारानी 2	0.1225	0.49		स्वीकृत नामान्तरकरण : 2039 18/10/2024समर्पण
2902	0.1400	औधोगिक प्रयोजन	0.1400	0.00		
2980	0.3700	चाही 3	0.3700	3.33	चा.2990	
2981	0.3600	चाही 3	0.3600	3.24	चा.2990	
2982	0.3400	चाही 3	0.3400	3.06	चा.2990	
2983	0.3400	चाही 3	0.3400	3.06	चा.2990	
2984	0.2500	चाही 3	0.2500	2.25	चा.2990	
2985	0.2700	चाही 3	0.2700	2.43	चा.2990	
2986	0.2500	चाही 3	0.2500	2.25	चा.2990	
2987	0.6700	चाही 3	0.6700	6.03	चा.2990	
2988	0.9000	चाही 3	0.9000	8.10	चा.2990	
2989	0.5000	चाही 3	0.5000	4.50	चा.2990	
2991	0.2500	चाही 3	0.2500	2.25	चा.2990	
2992	0.0800	चाही 3	0.0800	0.72	चा.2990	
2993	0.1000	चाही 3	0.1000	0.90	चा.2990	
2994	0.2600	चाही 3	0.2600	2.34	चा.2990	
2995	0.0400	चाही 3	0.0400	0.36	चा.2990	
2996	0.4200	चाही 3	0.4200	3.78	चा.2990	
3020	0.2300	चाही 3	0.2300	2.07	3024	
3021	0.2500	चाही 3	0.2500	2.25	3024	
3027	0.4700	आवासीय प्रयोजन	0.4700	0.00		
3618/3029	0.2000	आवासीय प्रयोजन	0.2000	0.00		
3619/3028	0.2900	आवासीय प्रयोजन	0.2900	0.00		
3687/2903	0.1526	औधोगिक प्रयोजन	0.1526	0.00		
कुल खसरे - 24	7.2551		7.2551	53.4100		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 19-Apr-2026



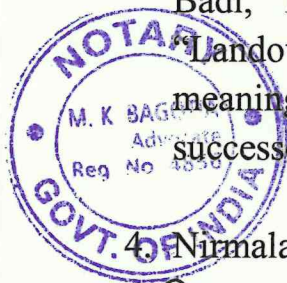


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding is being made and executed on this....^{6th} Day of April, 2026 at Ajmer.

BETWEEN

1. Ashok Kumar Jain S/o Mr. Dharmi Chand Jain R/o Mandiya Bhawan, Bhawar Badi, Bijainagar, Ajmer, Rajasthan-305624, (hereinafter referred to as the "Landowner/Promoter"), which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **First Part**;
2. Kavita Jain W/o Mr. Pawan Kumar Jain, R/o Mandiya Bhawan, Bhawar Badi, Bijainagar, Ajmer, Rajasthan- 305624, (hereinafter referred to as the "Landowner/Other Promoter") which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Second Part**;
3. Pawan Kumar Jain S/o Mr. Dharmi Chand Mandiya R/o Mandiya Bhawan, Bhawar Badi, Bijainagar, Ajmer, Rajasthan-305624, (hereinafter referred to as the "Landowner/ Other Promoter") which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Third Part**;
4. Nirmala Khicha W/o Mr. Arvind Khicha, R/o 5-6, Narmesh Nagar, Vinod Nay
Beawar, Ajmer, Raj- 305901, (hereinafter referred to as the "Landowner/ Other Promoter") which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Fourth Part**;
5. Leela Jain W/o Mr. Ashok Kumar Jain, R/o Bhanwar Badi, Bijaynagar, Ajmer, Rajasthan-305624, (hereinafter referred to as the "Landowner/ Other Promoter")



ATTESTED

NOTARY JAIPOUR
Advocate
Reg. No. 4856

06 APR 2026

Kavita Jain

Nirmala

Ashok Jain

which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Fifth Part**;



Whereas the above referred parties jointly owned a piece of Land **“SAMYAK CITY 3”** situated at Khasra No. 2980, 2981, 2982, 2983, At Revenue Village-Ramnerdhani, Tehsil-Kishangarh, District- Ajmer, State-Rajasthan.

NOW IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

1. The project **“SAMYAK CITY 3”** situated at Khasra No. 2980, 2981, 2982, 2983, At Revenue Village-Ramnerdhani, Tehsil-Kishangarh, District- Ajmer, State-Rajasthan.
2. The Marketing and selling of the project shall be carried out by all the parties.
3. That, Ashok Kumar Jain shall act as a Promoter and remaining parties shall act as the other promoters in the above referred project land **“SAMYAK CITY 3”**.
4. That, Ashok Kumar Jain shall sign all the documents related to RERA.
5. That, all the Rights and liabilities as imposed by the RERA Act shall be executed by all the parties.
6. As per section 4(2)(1)(D) of the RERA Act, the three bank account has opened in the name of party to the First Part (Ashok Kumar Jain).
7. All the receipts/losses from the booking and sale of units in the project **“SAMYAK CITY 3”** shall be shared between the parties in ratio of their ownership.



	Name of Landowner	% of Ownership
1.	Ashok Kumar Jain	<u>20.00</u> %
2.	Kavita Jain	<u>19.78</u> %
3.	Pawan Kumar Jain	<u>19.78</u> %
4.	Nirmala Khicha	<u>19.78</u> %
5.	Leela Jain	<u>19.78</u> %
TOTAL		100%

ATTESTED

06 APR 2026



8. That, if any contradiction arises or any loss or damage to any allottee arises in any manner in the future all the parties jointly takes responsibility to compensate for the same

Kavita Jain

Pawan Kumar Jain

Nirmala Khicha

लीला जैन

अशोक कुमार जैन

अशोक कुमार जैन

Ashok Kumar Jain
(Promoter)

कविता जैन

Kavita Jain
(Other Promoter)

पवन कुमार जैन

Pawan Kumar Jain
(Other Promoter)

निर्मला खिचा

Nirmala Khicha
(Other Promoter)

लीला जैन

Leela Jain
(Other Promoter)



ATTESTED

NOTARY JAIPUR
Rajasthan

06 APR 2026



सत्यमेव जयते

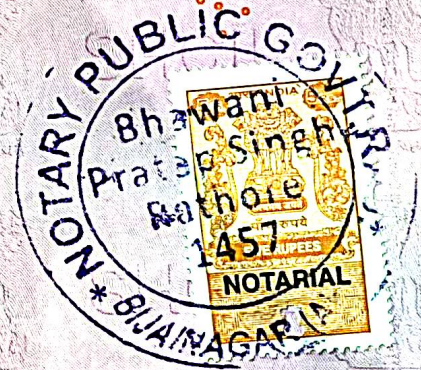
INDIA NON JUDICIAL
Government of Rajasthan



IN-RJ02040912752642Y

e-Stamp

Certificate No.	: IN-RJ02040912752642Y
Certificate Issued Date	: 18-Aug-2026 03:37 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/rj3313604/BIJAINAGAR/RJ-BE
Unique Doc. Reference	: SUBIN-RJRJ331360478505387238622Y
Purchased by	: ASHOK KUMAR JAIN SON OF DHARMI CHAND JAIN
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: --
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: ASHOK KUMAR JAIN SON OF DHARMI CHAND JAIN
Second Party	: ASHOK KUMAR JAIN SON OF DHARMI CHAND JAIN
Stamp Duty Paid By	: ASHOK KUMAR JAIN SON OF DHARMI CHAND JAIN
Stamp Duty Payable (Rs.)	: 50 (Fifty only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	: 5 (Five only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	: 5 (Five only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.)	: 5 (Five only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 65 (Sixty Five only)



अशोक कुमार जैन

ATTESTED

Bhawani Pratap Singh Rathore,
Notary Public, Bijainagar (Ajmer)

IDENTIFIED BY



OG 0008565872

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.e-stamprajasthan.gov.in or through Stamp Mobile App at www.e-stamprajasthan.gov.in or through Stamp Mobile App at www.e-stamprajasthan.gov.in
2. The duty of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

DECLARATION CUM UNDERTAKING

I, Ashok Kumar Jain S/o Mr. Dharmi Chand Jain, aged 51 years R/o Mandiya Bhawan, Bhawar Badi, Bijainagar, Ajmer, Rajasthan-305624, who is the promoter of the proposed project "SAMYAK CITY 3" situated at Khasra No. 2980, 2981, 2982, 2983, At Revenue Village-Ramnerdhani, Tehsil-Kishangarh, District- Ajmer, State-Rajasthan, do hereby solemnly declare, undertake and state as under:-

1. That the total land area covered under the 90-A Conversion Order in respect of the aforesaid project is 16,854.71 square yards.
2. That although an area of 16,865 square yards has been mentioned in the approved layout plan, the Promoter is seeking registration of the aforesaid project only in respect of the actual land area of 16,854.71 square yards, as covered under the 90-A Conversion Order.
3. That the Promoter hereby undertakes that, in the event of any issue, objection, dispute or discrepancy arising in the future in relation to the aforesaid area, the Promoter shall be solely responsible for the same and shall resolve the same at its own responsibility and cost, without causing any liability or prejudice to the Rajasthan Real Estate Regulatory Authority.
4. That the Promoter further undertakes that the registration of the project shall be sought and undertaken only with respect to the land area legally covered and supported by the applicable conversion order and documents.

अशोक कुमार जैन

ATTESTED

Shawani Pratap Singh Rathore
Notary Public Bijainagar (Ajmer)

5. That the contents of this Affidavit/Declaration are true and correct to the best of my knowledge and belief, and no material fact or information has been concealed or suppressed therefrom.

अशोक कुमार जैन

ASHOK KUMAR JAIN

(Deponent)

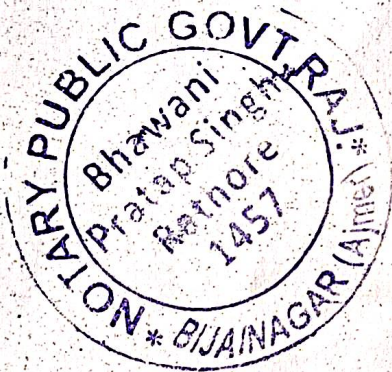
Verification

I, Ashok Kumar Jain S/o Mr. Dharmi Chand Jain, aged 51 years R/o Mandiya Bhawan, Bhawar Badi, Bijainagar, Ajmer, Rajasthan-305624, do hereby verify that the contents in Para No. 1 to 5 of our above Affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by us therefrom.

अशोक कुमार जैन

ASHOK KUMAR JAIN

(Deponent)



IDENTIFIED BY
Kumar

ATTESTED
18/08/2024
Bhawani Pratap Singh Rathore
Notary Public, Bijainagar (Ajmer)